संख्या 1195 स ख/96-27-सिं0-3/96

प्रेषक,

अनिता भटनागर जैन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता
सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखऊ।

सिंचाई अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक 31 मार्च 1996

विषय :- नाबार्ड पोषित वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृत लागत एवं समयान्तर्गत पूर्ण करने हेतु इनके सिविल कार्य शासकीय कार्यदायी संस्थाओं/निगमों से कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड पोषित वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओ (यथा चम्बल डाल नहर, शारदा सहायक की लाइनिंग का कार्य एवं मोदहा बांध के अन्तर्गत चरखारी पम्प नहर के पम्प हाऊस व डिलीवरी टैंक आदि) के कार्य कराने हेतु नाबार्ड के साथ से जो अनुबंध हुआ है उसके अनुसार उक्त समस्त कार्य एक वर्ष में ही मार्च 1997 तक, स्वीकृत लागत के अन्दर ही पूर्ण कराये जाने आवश्यक हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर निजी ठेकेदारों द्वारा कराये जाने पर यह सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है। निजी ठेकेदारों द्वारा कराये गये लाइनिंग आदि के कार्यों की गुणवत्ता भी सुनिश्चित नहीं होती।

2. अतः उक्त परिस्थितियों पर सम्यक विचार कर शासन द्वारा राज्य सरकार के हित एवं व्यापक जन हित में, यह निर्णय लिया गया है कि विषयगत योजनाओं के कार्यों को समय से निर्धारित लागत में पूर्ण कराने तथा गुणात्मक कार्य सुनिश्चित करने हेतु उक्त योजनाओं के सिविल कार्यों को सरकारी संस्थानों यथा 'उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम', ''उ0प्र0 सेतु निगम'' तथा 'यू0पी0 प्रोजेक्टस एण्ड ट्यूबवेल्स कारपोरेशन लि0' आदि से ही लोक निर्माण विभाग में प्रचलित प्रथा के अनुसार कराया जाय। उनके द्वारा लोक निर्माण विभाग में सीधे कार्य आवंटन की प्रचलित प्रक्रिया अनुसार कार्य लेने की अनिच्छा लिखित रूप से व्यक्त करने पर ही इन कार्यों को ठेके से कराया जाय। तदनुसार कार्यवाही हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदन करते है।

3. उक्त परियोजनाओं के कार्य उक्त संस्थाओं से कराने हेतु भुगतान आदि की शर्तें वही रखी जाऐंगी जो लोक निर्माण विभाग द्वारा 'राजकीय निर्माण निगम'/ 'राज्य सेतु निगम' को सीधे कार्य देने पर रखी जाती हैं। आवश्यक होने पर सिंचाई विभाग में व्यवहृत हो रहे अनुबन्ध फार्म 111 के कण्डिका 34, जिसमें अनुबन्ध के सम्पादन में विवाद उत्पन्न होने पर उसे निपटाने के लिए प्रमुख अभियन्ता का निर्णय अंतिम मानने का प्राविधान है,

के स्थान पर 'प्रमुख सचिव सिंचाई एवं प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग की परस्पर सहमति से आर्विट्रेटर की नियुक्ति' का प्राविधान कर दिया जाय।

4. सिंचाई विभाग द्वारा अन्य परियोजनओं के भी समस्त सिविल निर्माण कार्यों के टेन्डर नोटिस की प्रति निगमों को हस्तगत कराये जाने के आदेशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाय।

5. उक्त निर्देशों का अनुपालन उक्त प्रस्तर 1 में उल्लिखित विषयागत योजनाओं के वित्तीय वर्ष 1995-96 से कराये जाने वाले कार्यों में तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

6. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी कियो जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनिता भटनागर जैन)
विशेष सचिव सिंचाई

संख्या 1195(1)स ख/96-27-सिं0-3/तदिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, लखनऊ को उनके अ0शा0पत्र दिनांक 24.03.1996 एवं अ0शा0पत्र सं. सी-790 दिनांक 26.03.1996 के सन्दर्भ में विषयगत शारदा सहायक की लाइनिंग के कार्यों में उक्त निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
2. समस्त अन्य क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश।
3. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0प्रोजेक्ट्स एवं नलकूप निगम लि0,/उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0/उ0प्र0 सेतु निगम लि0, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
6. सिंचाई अनुभाग - 4/5/9।

आज्ञा से,

ह0
(अनिता भटनागर जैन)
विशेष सचिव सिंचाई।